

कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग
क्रमांक / 316 / भू-अर्जन / 18 खरगोन, दिनांक 18 / 09 / 2018
प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क विभाग,
म.प्र.भोपाल।

विषय :- सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की अधिसूचना का प्रकाशन।

जल संसाधन विभाग, खरगोन की " रोशिया तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु" तहसील भीकनगांव के 02 ग्रामों की निजी भूमि क्षेत्रफल 43.468 हेक्टेयर को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान के संबंध में जारी अधिसूचना की 04 प्रतियाँ इस पत्र के संलग्न है।

अतः कृपया संलग्न अधिसूचना को 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-04 प्रतियाँ

(शशि भूषण सिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म.प्र.)

खरगोन, दिनांक 18 / 09 / 2018

पृ0क्रमांक / 317 / भू-अर्जन / 18
प्रतिलिपि :-

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, कलेक्टोरेट खरगोन की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू अर्जन अधिकारी, भीकनगांव की ओर सूचनार्थ
3. तहसीलदार भीकनगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय / तहसील / जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम / ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करावे।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. माल जमादार, कलेक्टोरेट, खरगोन की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म.प्र.)

:: अधिसूचना ::

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3820/भू-अर्जन/रोशिया तालाब शीर्ष कार्य/2018, दिनांक 20.08.2018 से " रोशिया तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु" अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) की धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।


उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं शशि भूषण सिंह, कलेक्टर, जिला-खरगोन एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ-

क्रं.	तहसील	ग्राम का नाम	प0ह0नं0	प्रस्तावित अर्जनीय भूमि का रकबा (हे0 में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1	भीकनगांव	बंझर	37	42.918	" रोशिया तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु"
2		भातलपुरा	38	0.550	
		योग:-	-	43.468	

नोट:-

- 1- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
- 2- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार


 (शशि भूषण सिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
 म.प्र. शासन, राजस्व विभाग
 जिला खरगोन (म.प्र.)